Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 130-133**

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार

दीपक नाथ
शोध छात्र
डॉ हेमा
विभागाध्यक्ष एवं असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
एस एस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे अल्मोड़ा
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड

Accepted: 06/11/2025
Published: 14/11/2025 ***DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.17830621***

सारांश

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ भौगोलिक विषमताएँ, सीमित औद्योगिक आधार, और निरंतर पलायन जैसी चुनौतियाँ रोजगार के पारंपरिक अवसरों को सीमित करती रही हैं। इन परिस्थितियों में स्वरोजगार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण-पर्वतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, देवभूमि उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बांस आधारित उद्योग, पॉलीहाउस खेती, मधुमक्खी पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, डेयरी विकास, सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आदिने युवाओं, महिलाओं, प्रवासियों एवं बेरोजगारों को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया है। इन योजनाओं ने स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे बांस, जड़ी-बूटियों, कृषि उत्पादों, पशुपालन, हस्तशिल्प और पर्यटन को रोजगार के नए स्रोतों में परिवर्तित किया है। इससे न केवल आय और जीवन-स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन पर नियंत्रण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी संभव हुआ है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के प्रमुख स्वरूपों, सरकारी नीतियों तथा इनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि स्वरोजगार राज्य की सतत विकास रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है तथा भविष्य में इसे और विस्तार देने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

"केदारखंड मानसखंड, देवभूमि उत्तराखण्ड।
हिमगिरि रमणीय, पावनौ भूमिपुत्रो।।"

(केदारखंड और मानसखंड, देवभूमि उत्तराखण्ड है। हिमगिरि (हिमालय) रमणीय है, और यह पवित्र भूमि पुत्रों (लोगों) की भूमि है।)

उत्तराखण्ड राज्य को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर इसका गठन किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर 2000 को किया गया था। यह देश में गठित होने वाला 27वां राज्य है। हिमालयी राज्यों के क्रम में गठित होने वाला यह देश का 11वां राज्य है। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 किमी² (20,650 वर्ग मील) है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.6 प्रतिशत है। देहरादून राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है, जबकि नैनीताल न्यायिक राजधानी है। राज्य को दो मंडलों, गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित किया गया है जिसमें कुल 13 जिले हैं। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिन्दू देवी-देवताओं के मंदिर स्थित हैं। यहाँ पवित्र पावनी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। उत्तराखण्ड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसकी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। उत्तराखण्ड राज्य में प्रमुखतः हिन्दी भाषा बोली जाती है। ये भी आधिकारिक भाषा है। इसके साथ ही कुमाऊँनी तथा गढ़वाली का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य कई बोलियों का भी प्रयोग होता है।

उत्तराखण्ड में रोजगार के लिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और देवभूमि उद्यमिता योजना जैसी योजनाएँ है, जो युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं, प्रवासियों, कुशल / अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, और शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऋण की सीमा 50000 से 1000000 रुपये तक है। देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत शैक्षिक परिसरों, ग्रामीण क्षेत्रों और बंजरों तथा हाशिये पर रह रहे लोगों के बीच उद्यमिता विकास और स्टार्ट अप संज्ञान मिशन को मजबूत करना है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के अन्तर्गत पॉलीहाउस में खेती एक अच्छी प्रणाली है। जिसमें सब्जी व एक फसलीय खेती के लिए पॉलीहाउस तथा नियंत्रित वातावरण रखा जाता है। इसमें किसान बेमौसमी सब्जियों व फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही किसान खेती कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा नवाचार योजना चलाई है। जिसका उपयोग गुणवत्तायुक्त सेवो के लिए किया जाता है। इस पॉलीहाउस प्रणाली में 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिसमें कृषि उद्यान विभाग ने जमीन के अनुसार मानक निर्धारित कर दिया है। स्वरोजगार के अन्तर्गत राष्ट्रीय NGO द्वारा उत्तराखण्ड में पॉलीहाउस खेती में किसानों को जोड़ा गया है।

उत्तराखण्ड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के तहत मधुमक्खी पालन को सशक्तिकरण दी जाती है और मधुमक्खियों के लिए रोजगार के लिए भी दिया जाता है। मधुमक्खी पालन के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में शहद का प्रोडक्शन किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक सरल कृषि प्रणाली है। उत्तराखण्ड में लगभग 80 प्रतिशत परिवार निर्भर हैं। मधुमक्खी पालन से बेरोजगार लोगों को भी रोजगार दिया जाता है। शोध से पता चला है कि विश्वविद्यालयों में मधुमक्खी पालन पर बहुत गोष्ठी रमाई जाती रही है। मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद मधुमक्खी के पुष्प मधु से बनता है। मधुमक्खी पालन का मुख्य कार्य है कि फूलों में से फूलों के रस को चूस कर मधु बनाना। मधुमक्खी पालन के कई प्रकार हैं जैसे शहद मधुमक्खी, डैम्सेल फ्लाई आदि। मधुमक्खी पालन कुछ महीनों में ही मधु तैयार कर देती है, मधु पुर्ण रूप से तैयार होता है और मधुमक्खी पालन के तहत मधु का शहर मत्रा होता है।

उत्तराखण्ड में पशुपालन के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजना है। जिसमें क्षेत्रीय बकरी पालन केन्द्र / बकरी विकास गांव कलेक्ट्र बैक्टर योजना / "बकरी घाटी" योजना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करती है, और पारंपरिक बकरी पालन को लाभकारी उद्यम में बदलती है। अहिल्याबाई होल्कर ब्रीड / बकरी विकास राज्य सेक्टर योजना के तहत, लाभार्थियों को बकरे और बकरियों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बकरी पालन योजना का उद्देश्य युवाओं में पारंपरिक पशुपालन को अपनाने की मानसिकता में बदलाव है। जिससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। यह स्वरोजगार कार्यक्रमों में पशु पालन को बढ़ाने में मदद करता है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के तौर पर मशरूम पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है जिसमें 'मुख्यमंत्री मशरूम पाचन योजना' और किसान क्रेडिट कार्ड मशरूम पालन योजना प्रमुख हैं, जो मशरूम पालन को प्रशिक्षण, ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। मशरूम पालन को ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत और कम स्थान में एक महत्वपूर्ण आय के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार की कृषि विभाग से मशरूम उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 60 प्रतिशत का अनुदान मिलता है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम पालन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे किसानों को अच्छी आय होती है। मशरूम पालन का मुख्य कार्य है कि मशरूम को उचित ताप और नमी की आवश्यकता होती है। मशरूम के लिए विशेष प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है। ऐसा

प्रतीत होता है कि मशरूम पालन को होने वाले मुनाफाकों को देखते हुए इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले के ककरा गांव को दिया गया था 'मशरूम गांव' का नाम से अपना अलग पहचान बनाई है। 21 साल की उम्र में दिया ने 200 वर्ग फीट के कमरे में मशरूम की खेती की और आज करोड़ों का कारोबार करने वाली बन दिया है। जिसकी आय प्रति माह 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उद्यमी को मिले हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार विकास योजना शुरू की गई है जो कि किसानों को रोजगार हेतु उनके खेतों में मशरूम उत्पादन में काफी मदद कर रही है। इस योजना के तहत मशरूम हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और किसानों को कम लागत में बेहतर मशरूम उत्पादन करने हेतु सक्षम बनाती है जिससे ज्यादा फायदे मंद है।

पर्वतीय क्षेत्र में होम स्टे चलन बढकर रोजगार का बेहतर साधन बन गया है। ये होम स्टे न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि गांव से पलायन अपने-हने में मददगार साबित हो रहे हैं। जाना भी जाता है। जिस तरीके से पलायन उत्तराखण्ड के लिए गंभीर समस्या व रुकावट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि होम स्टे के संचालन में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। होम स्टे के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने में दीर्घकालिक उपार्जन आत्मार गृह जनजीवन और आर्थिक आत्मार गृह जनजीवन योजना अहम भूमिका निभा रही है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ की थी।

पर्यटन विभाग की वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना भी रोजगार देने में पीछे नहीं है। इसमें दो तरह की गाड़ियां मिलती हैं। पहला वाहन मख पहाड़ी वाहनों के लिए लिया जाता है जिसमें राजधानी के रूप में मिलता है। उसके लिए अनुशंसा प्रमाण पत्र 15 लगते होती है। जबकि दूसरा प्रकार में गढ़वाली गढ़वाली 30 प्रतिशत अनुदान के ऋण मिलता है। इस योजनां का आर्थिक राशि 33 लाख है और यह वाहन मख के अन्तर्गत होता है। इस के अन्तर्गत इस योजना से पर्यटक स्थलों हो, धार्मिक स्थल, होटल, मोटेल, ढाबे, रेस्त्रां, गेस्ट हाउस और भी साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों के लिए वाहनां पर अच्छा सुविधा दी जाती है।

रेशमूत पेराए मिल में पर्वतीय क्षेत्रों के गरीब लोगों को स्वरोजगार देने व जंगलों से आए से वन सम्पदा का पुनः उपयोग के उद्देश्य से रेशम गलन प्लांट खोला गया है। जिसके तहत मिल संचालन में बेरोजगार गरीब लोगों को रोजगार का अच्छी सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना को बहुत ही प्रभावी तरीके से संचालित किया गया है। स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में 2014 में महिलाओं के लिए स्वरोजगार मिशन शुरू की गयी है। इस योजना में महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनका आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाता है और यह योजना में पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं व लोगों को स्वरोजगार देता है। इस योजना से स्वरोजगार हेतु महिला व पुरुष दोनों अपने को जोड़ पाते हैं। गरीबी लोग व समाज का कमजोर वर्ग भरपूर तरीके से स्वरोजगार पा रहे हैं। कृषि वानिकी घाटकों से पहाड़ी के लोगों को अच्छा जीवना सहायता मिलता है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के लिए बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और पहल हैं। जिनमें देवभूमि उद्यमिता योजना और बांस मिशन शामिल हैं, जो युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्तराखण्ड सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ाने के साथ ही बांस से तैयार किए गए उत्पादन जैसे कि फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं, और हस्तशिल्प शामिल हैं तथा ऐसे एक उद्योग से अच्छे ख्याति प्राप्तकर्ता के अनुकूल संचालन है, जो कार्बन–क्रेडिट–ऑफसेटिंग को जन्मसेवन करते हैं जो भी कृषि के कचरे को रोकता है। बांस आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, और लोगों की आय में वृद्धि करते हैं।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के तौर पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए, आप "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिसका अन्तर्गत राज्य सरकार सौर पैनल स्थापित करती है। राज्य में सौर ऊर्जा दिवस के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। 1 कि.वाट पर सौर ऊर्जा (सोलर प्लांट) के किलोवाट 23000 रुपये / किलोवाट और 3 किलोवाट के किलोवाट तक 17000 रुपये / किलोवाट तक सब्सिडी दी जाती है। पारम्परिक सौर 5–500 किलोवाट के लिए 8000 रुपये / किलोवाट तरलियकृत एक्स और ग्रामीण 50–200 किलोवाट के लिए 15000 रुपये / किलोवाट सब्सिडी दी जाती है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के लिए जड़ी–बूटी खेती एक अच्छा विकल्प है, जिसके लिए राज्य सरकार "मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजनाएं" जैसी योजनाएं चलाती रहती है, जो किसानों को जड़ी–बूटी खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। जड़ी–बूटी क्षेत्रफल बढ़ाने से, भूमि विकास, कृषि वन एवं औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण होता है। जड़ी–बूटी उत्पादन से उत्तराखण्ड कृषि में आय बढ़ती है, और इसके उपयोग से अनेक प्रकार की आय प्राप्त होती है। जड़ी बूटी खेती से किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

यह रोजगार के अवसर पैदा करती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करती है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के लिए हस्तशिल्प एक अच्छा विकल्प है, जहाँ आप बांस की नक़्काशी, दारु शिल्प, रिंगाल शिल्प, लोह उत्पाद, पत्थर की बनी और अन्य पारंपरिक कलाकृतियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखण्ड में कस्तूरी पर नक्काशी कला की प्राचीन

तकनीकों में उपयोग होता है। ये राजधानी विकास कला क्षेत्र में स्वंय रिक्रतियां में देखी जाती है। उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक जन दो उत्पादन नीति, हस्त शिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना, ऑनलाइन बाजार आदि है।

लक्ष्मी दीदी योजना के तहत आवेदन करने पर महिलाएं 5 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। और स्वरोजगार तकनीक के सूत्र और अभियान मिल सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, हस्तशिल्प उत्पाद निर्मित की प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना उत्तराखण्ड में ग्रामीण सहकारिता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के अन्तर्गत, स्वरोजगार कल्याण योजना के तहत, पर्वतीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल न होने महिलाओं को अब जल संग्रहण में नहीं जाना पड़ते, जिससे उन्हें पशु क्षेत्र का भी पालन करने में समस्या होती थी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जल संग्रहण हेतु तालाब बनाये जाते हैं। ताकि वे पशुपालन हेतु रोजगार प्राप्त कर सके। इस योजना में मछली, मधुमक्खी पालन, जड़ी-बूटी, मशरूम, कुटीर और अनुचरण वस्त्रकारी, हस्तशिल्पकारी और शिक्षा जैसी व ग्रामीण रोजगारों को आय उत्पन्न / व्यवसाय स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है।

उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के अन्तर्गत डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार कृषि प्रशिक्षण के विशेष मूल्य दिया, आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी देते हैं, और दुग्ध पशुओं की बेहतर देख-रेख करने के लिए मदद करते हैं।

चलते जाती है। गंगा गाय योजना सीएम राज्य पशुधन मिशन के अन्तर्गत स्वरोजगार को राज्य में बढ़ावा मिल रहा है।

उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता धार्मिक महत्व और लोक संकृति विरासत के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। जिनका उपयोग करके यहां पर स्वरोजगार किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिये प्राकृतिक संसाधन बहुत उपयोगी एवम् महत्वपूर्ण है। स्वरोजगार के द्वारा हम पलायन पर भी अंकुश लगा सकते हैं। उत्तराखण्ड में पलायन एक गम्भीर समस्या है। उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा पलायन रोकने के लिये पलायन निवारण आयोग की भी स्थापना की गई है। सरकार द्वारा समय-समय पर पलायन को रोकने के लिये स्वरोजगार की बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****